जायेगी तथा कार्यादेश जारी किये जाने पर इसी सामग्री के अनुरूप/इसी प्रकार की विशिष्टियों वाली सामग्री की आपूर्ति की जायेगी। सामग्री में किसी प्रकार की खराबी पाये जाने/कम गुणवत्ता की पाये जाने की दशा में आपूर्ति की गई सामग्री के मूल्य में प्रथम बार में 20% की कटौती की जायेगी, दोबारा ऐसा होने पर आपूर्ति की गई सामग्री के मूल्य में 25% तक धनराशि की कटौती कर ली जायेगी। तीसरी बार ऐसा करने की दशा में आपूर्ति की गई सामग्री के 50% धनराशि की कटौती करते हुए जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा फर्म/व्यक्ति को आगामी पांच वर्षों के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

17– निविदा अस्वीकार होने की दशा में या स्वीकार न होने की दशा में धरोहर राशि तथा सैम्पल के रूप में जमा की गई सामग्री वापस कर दी जायेगी।

18– स्वीकृत निविदा की दरें दिनांक 31.03.2017 तक के लिये वैध होंगी, विशेष परिस्थिति में इसे दोनों पक्षों की सहमति से अधिकतम 03 माह तक यानि दिनांक 30.06.2017 तक बढ़ाया जा सकेगा।

19– श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा।

20– सामग्री का आई०एस०आई० मार्क होना आवश्यक होगा, जिसके आई०एस०आई० मार्क होने का स्पष्ट प्रमाण भी संलग्न करना होगा।

21– निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। निविदा की शर्तें पूर्ण न करने पर निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

22– निविदादाता के ब्लैक लिस्टेड न होने, आपूर्ति विषयक विवाद या विधिक कार्यवाही न होने, आपराधिक कार्यवाही न होने के संबंध में शपथ–पत्र दिया जाना आवश्यक होगा।

23– किसी भी विवाद की दशा में सक्षम प्राधिकारिता के हल्द्वानी स्थित न्यायालय द्वारा वाद का विचारण किया जा सकेगा।

श्रम आयुक्त हल्द्वानी उत्तराखण्ड

उप श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड
हल्द्वानी.